अनवान तारूसिंह बनाम महेन्द्रसिंह
मुकदमा नंबर 105 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.06.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी (वादी) अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी (वादी) अधिवक्ता की बहस है कि अज़ अदालत में विचाधीन राजस्व वाद प्रकरण संख्या 34/2024 अनवान तारूसिंह वगैरह बनाम महेन्द्रसिंह वगैरह पेशी दिनांक 18.03.2024 को वादी व वादी अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया था। प्रार्थी (वादी) अधिवक्ता ने आगे अपनी बहस में कथन किया कि वादी अधिवक्ता अन्य अदालत में व्यस्त होने के कारण व वादी स्वंय मजदूरी के लिए बाहर जाने के कारण पेशी दिनांक 18.03.2024 को अज अदालत में उपस्थित नहीं हो पाये थे। दिनांक 02.04.2025 को प्रार्थी (वादी) अधिवक्ता को उक्त राजस्व वाद के अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी प्राप्त हुई। राजस्व वाद 34/2024 तत्समय प्रतिवादीगण की तलबी में विचाराधीन था। प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से पक्षकारान के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद को पुनः रिस्टोर करने का आंदेश फरमाया जावे। हमने वादी वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरता से अध्ययन व मनन किया। मूल वाद 34/2024 अनवान तारूसिंह वगैरह बनाम महेन्द्रसिंह वगैरह का अवलोकन किया। मूल वाद तत्समय प्रतिवादीगण की तलबी में विचाराधीन था। न्याय की मंशा है कि किसी पक्षकार को न्याय से महरूम नहीं रखा जाना चाहिए तथा प्रकरण का विधि अनुसार परीक्षण किया जाकर गुणावगुणों के आधार पर निस्तारण किया जाना चाहिये। हस्तगत प्रकरण में वादी वकील की गलती से वादी न्याय से महरूम रह जाएगा। मूल [illegible]भिक स्तर पर विचाराधीन है। यदि प्रार्थी [illegible] जाता है तो पक्षकारान के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव [illegible] पड़ेगा। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश [illegible] नियम 4 सी.पी.सी स्वीकार किया जाता है। मूल वाद पुनः रिस्टोर किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दपतर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) भिवाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.09.05 16:04:44 IST
Reason: SelfAttested